अध्याय – 5
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता

5.1 प्रस्तावना

अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में निवेश बढाने के लिए, एमएनआरई पूंजी तथा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लागू करता है जो आरई परियोजनाओं के संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं से लाभ प्राप्त कर सकते है। इन योजनाओं के तहत, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के पश्चात एमएनआरई व्यक्तिगत ऋण लेने वाले के लिए पूंजी/ब्याज सब्सिडी देने के लिए विशिष्ट स्वीकृतियां जारी करता है। इरेडा उन वित्तीय संस्थाओं में से एक है ऋण लेने वालों को प्रदान करने के लिए एमएनआरई से सब्सिडी प्राप्त करता है। इस अध्याय में, सब्सिडी योजनाओं पर इरेडा के निष्पादन का लेखापरीक्षा मूल्यांकन किया गया है।

5.2 ब्याज/पूंजी सब्सिडी के अनुदान पर शासित निबंधन और शर्ते

5.2.1 ब्याज सब्सिडी

इरेडा द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के लिए एमएनआरई द्वारा ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसे आरई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एमएनआरई कार्यक्रम लागू करने के लिए ऋणी को जारी किया जाता है। सब्सिडी को मंजूरी के निबंधन और शर्तो के अनुपालन के अधीन एक तिमाही के आधार पर जारी किया जाता है।

ब्याज सब्सिडी के लिए निबंधन और शर्ते अन्य बातों के साथ साथ यह भी अनुबंधित करती है कि यदि परियोजना निर्धारित समय में पूरी नहीं होती या छोड़ी जाती है तो सब्सिडी राशि की ऋण करार में वर्णित अन्य जुर्माने के साथ एमएनआरई को वापिस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऋणकर्ता परियोजना का परिचालन इसके समापन के पश्चात कम से कम दस वर्षों के लिए जारी रखेगा तथा यदि वह ऐसा करने में विफल होता है, तो एमएनआरई को सब्सिडी की कुल राशि वापिस करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रमोटर उस परियोजना को चालू होने के पश्चात दस वर्षों की अवधि तक बिक्री, उपहार, पट्टे पर, किराये, स्थांनातर या किसी अन्य तरीके से समाप्त नहीं करेगा जिसके लिए ब्याज सब्सिडी दी गई हैं। इन निबंधनों तथा शर्तो के अनुपालन के लिए, इरेडा ऋणकर्ता से एक वचनबद्धता प्राप्त करेगा।

5.2.2 पूंजीगत सब्सिडी

एमएनआरई इरेडा के माध्यम से पूंजीगत सब्सिडी देता है। इसे ऋणों के संवितरित रूप में उसी अनुपात में यथानुपात आधार पर संवितरण किया जाता है। सब्सिडी प्राप्त करने के पश्चात्, इरेडा इस राशि के बराबर ऋण कम करता है।

पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए निबंधन तथा शर्तें ब्याज सब्सिडी के समान थी। सिवाय इसके कि ऋणकर्त्ता परियोजना समाप्त होने के बाद कम से कम पांच/दस[26] वर्षों के लिये परियोजना का संचालन जारी रखेगा और ऐसा करने में विफल होने पर एमएनआरई को सब्सिडी की पूरी राशि वापस करेगा। यह उस परियोजना जिसके लिये सब्सिडी दी गई है को पांच/दस वर्षों की अवधि के लिये बिक्री, उपहार, पट्टे पर देने, किराये, हस्तांतरण या निपटान भी नहीं करेगा।

5.3 इरेडा द्वारा दी गई पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी

इरेडा द्वारा इसके प्रारम्भ से वित्तपोषित की गई 123 परियोजनओं के लिए एमएनआरई से ₹ 148.99 करोड़ की पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी प्राप्त की गई। इन 123 परियोजनाओं में से 110 परियोजनाओं के लिए ₹ 122.88 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई तथा शेष 13 परियोजनाओं के लिए ₹ 23.14 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई। इस प्रकार, प्राप्त किए गए ₹ 148.99 करोड़ (ब्याज सब्सिडी के लिए ₹ 125.85 करोड़ तथा पूंजीगत सब्सिडी के लिए ₹ 23.14 करोड़) में से, ₹ 146.02 करोड़ को ऋणकर्ता को पारित किया गया (मार्च 2013)।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान प्राप्त की गई पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी का विवरण नीचे तालिका संख्या 5.1 तथा 5.2 में दिया गया है:-

तालिका 5.1: इरेडा द्वारा पारित पूंजीगत सब्सिडी

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09*	2009-10*	2010-11*	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
एमएनआरई से प्राप्त की गई सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	20.29	4.00
वर्ष के दौरान पारित सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	20.29	4.00
एमएनआरई को वापिस की गई सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समायोजन	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
अन्त शेष	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00

***इन वर्षों के दौरान कोई पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई**

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

[26] *एनएनआरई अवधि निर्धारित करता है और प्रत्येक मामले के मंजूरी पत्र में निर्धारित अवधि के लिये परियोजना की बिक्री/स्थानांतरण सीमित करता है।*

तालिका 5.2: इरेडा द्वारा पारित ब्याज सब्सिडी

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
प्रारंभिक शेष	28.92	14.15	3.23	4.90	1.77
एमएनआरई से प्राप्त की गई सब्सिडी	9.65	8.27	15.05	3.47	0.00
वर्ष के दौरान वापिस सब्सिडी	1.14	0.74	0.47	1.27	0.00
सावधी जमा रसीदों पर प्राप्त ब्याज	0.47	0.08	0.06	0.003	0.00
वर्ष के दौरान पारित सब्सिडी	23.75	18.53	12.97	5.33	1.61
अन्त शेष	14.15	3.23	4.90	1.77	0.16

*2012-13 के दौरान कोई ब्याज सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

5.4 सब्सिडी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

123 परियोजनाओं जहां सब्सिडी मंजूर की गई थी, में से लेखापरीक्षा ने 12 परियोजनाओं (ब्याज सब्सिडी के लिए 10 परियोजनाएं तथा पूंजीगत सब्सिडी के लिए 2 परियोजनाए) के संदर्भ में अभिलेखों की जांच की। जिसमें एमएनआरई से प्राप्त (₹ 18.10 करोड़) पूँजीगत/ब्याज सब्सिडी इरेडा द्वारा ऋणकत्ताओ को दिया गया (₹ 14.48 करोड़) था। एमएनआरई की सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न अनियमितताएं देखी गई थी। जैसाकि विचलनों के अपात्र ऋणकर्ता को निरन्तर सब्सिडी देना, सब्सिडी की वसूली न करना और परियोजना की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के अभाव जैसी पांच मामलों पर चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है:

5.4.1. **मै. पुर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड** (परियोजना संख्या 1546) के मामले में, एमएनआरई द्वारा खोई आधारित सह उत्पादन परियोजना को ₹ 1.92 करोड़ की राशि ब्याज सब्सिडी के रूप में मंजूर की गई थी और इसके प्रति ऋणकर्त्ता को संवितरण के लिये निवल वर्तमान मूल्य[27] (एनपीवी) आधार पर इरेडा को ₹ 1.37 करोड़ (जून 2004) दिये गये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- ऋणकर्त्ता ने ब्याज सब्सिडी के लिए शर्तों का अनुपालन नहीं किया अर्थात आरई परियोजना को इसकी पूर्णता के पश्चात् न्यूनतम दस वर्षों के लिए परिचालित किया जाना था;

[27] *निवेश से भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य और निवेश की राशि का अंतर। अपेक्षित नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य की गणना आवश्यक प्रतिफल दर पर उन्हें छूट द्वारा की जाती है।*

- परियोजना जिसे फरवरी 2004 में चालू होना था, को अन्तिम रूप से मार्च 2007 में चालू किया गया तथा इसके बाद सब्सिडी योजना में निर्धारित 25 *प्रतिशत* तक अनुमति के प्रति 100 *प्रतिशत* कोयला आधारित परिचालन में परिवर्तित कर दिया गया (जून 2009);

- यद्यपि ऋण मार्च 2007 में एनपीए बन गया था, ₹ 1.66 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.17 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.49 करोड़) की सब्सिडी का वास्तविक लाभ दिसम्बर 2009 तक दिया गया था और एमएनआरई (अगस्त 2010) को ₹ 0.22 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 0.20 करोड़ और उपार्जित ब्याज ₹ 0.02 करोड़) की अप्रयुक्त सब्सिडी वापस की गई थी; और

- ऋणकर्त्ता ने ₹ 84.12 करोड़ के प्रति ₹ 71.35 करोड़ की राशि के लिए ओटीएस (दिसम्बर 2009) के माध्यम से अपनी बकाया देयता का निपटान किया लेकिन इरेडा ने ₹ 1.66 करोड़ की ब्याज सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्यवाई नहीं की।

इस प्रकार, यद्यपि ऋणकर्ता ने सब्सिडी योजनाओं के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया तथापि इरेडा ने सब्सिडी देना जारी रखा।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि ऋणकर्त्ता ने इरेडा के साथ लेखा का निपटान किया तथा ओटीएस स्वीकृति के अनुसार सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया। परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से विलम्बित हुआ। संयंत्र के परिचालन के लिए कोयले के उपयोग के संदर्भ में, इसे एक विशिष्ट समय पर नहीं अपितु वर्ष के दौरान उपयुक्त संपूर्ण ईंधन मिश्रण पर देखे जाने की आवश्यकता है। ₹ 1.17 करोड़ की सब्सिडी को इरेडा के बकाया के ऋणकर्ता द्वारा निपटान की अवधि तक ऋणकर्त्ता को पारित किया गया, तथा ऋण की शेष अवधि के लिए, ऋणकर्त्ता पर पारित नहीं किया गया, को एमएनआरई को वापिस किया गया।

प्रबंधन ने आगे यह कहा गया कि एनपीए होने वाले किसी भी खाते में, यह आवश्यक नहीं है कि ब्याज सब्सिडी को पारित नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में, ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2009 के अनुरूप स्वीकृत के अनुसार ओटीएस के रूप में अपनी बकाया राशि का भुगतान किया। सब्सिडी को सितम्बर 2009 को समाप्त तिमाही तक पारित किया गया। परियोजना को चालू किया गया था नाकि छोड़ा गया था, जिसमें ब्याज सब्सिडी वापसी की आवश्यकता थी।

प्रबंधन का उत्तर इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि ऋणकर्त्ता द्वारा भुगतान पर चूक तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों (25 *प्रतिशत* तक) से सीमित विचलन से बचने के लिए योजना के महत्वपूर्ण घटक थे तथा जैसाकि इरेडा भारत सरकार योजना के सब्सिडी अनुदान के लिए विशेष शर्तो में परिवर्तन/उनकी व्याख्या नहीं कर सकता । इसके अलावा, ओटीएस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकृति दी गई कि परियोजना अब एक आरई परियोजना नहीं थी।

5.4.2 मै. इंड भारत एनर्जी (थुथुक्कुडी) लि. (परियोजना संख्या 1655) के मामलें में, एक बायोमास परियोजना, एमएनआरई ने इरेडा द्वारा प्रदत्त ₹ 16.94 करोड़ के आवधिक ऋण पर ऋणकर्त्ता को ₹ 1.83 करोड़ की ब्याज सब्सिडी मंजूर की (जनवरी 2007)। इरेडा ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान एनपीवी आधार पर ₹ 1.36 करोड़ की सब्सिडी जारी की। जुलाई 2009 में, तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इरेडा को बताया की कि संयंत्र बायोमास के बजाय 100 *प्रतिशत* कोयले के साथ परिचालित है। परिणामस्वरूप, ऋणकर्त्ता तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के बीच विद्युत क्रय करार को समाप्त किया। इरेडा ने ऋण की पूर्व-समापन तथा एमएनआरई को ₹ 0.51 करोड़ की अनुपयुक्त सब्सिडी राशि वापिस करने के लिए ऋणकर्ता को कार्रवाई करने का निर्देश दिया (अगस्त 2009)। इरेडा ने पारित की गई ₹ 1.91 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.36 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.55 करोड़) की सब्सिडी के वास्तविक लाभ की वापसी के लिए एमएनआरई की तरफ से ऋणकर्त्ता को रिकॉल नोटिस जारी किया (जून 2010)। उत्तर में, ऋणकर्त्ता ने सितम्बर 2010 में ₹ 10.17 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि का भुगतान किया परन्तु सब्सिडी का भुगतान करने से मना कर दिया। तथापि इस प्रेषण को ₹ 8.19 करोड़ की मूल राशि तथा ₹ 1.98 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.36 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.62 करोड़) की ब्याज सब्सिडी के प्रति इरेडा द्वारा विभाजित किया गया। तथापि, ब्याज सब्सिडी को एमएनआरई को हस्तांतरित नहीं किया गया।

इस प्रकार, ऋणकर्त्ता ने एमएनआरई दिशा निर्देशों (जुलाई 2003) जिसमे जीवाश्म इंधन का अधिकतम 25 *प्रतिशत* सीमा तक उपयोग निर्धारित किया, का उल्लंघन करने के बावजूद ₹1.98 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया। यह राशि ऋणकर्त्ता से वसूल की जानी चाहिए तथा एमएनआरई को वापिस की जानी चाहिए। इसके अलावा, इरेडा ने यह जांच करने के लिए परियोजना का कोई निरीक्षण नहीं किया कि क्या ऋणकर्त्ता अपने संयंत्र में बायोमास का उपयोग कर रहा था या जीवाश्म ईंधन का उपयोग मे परिवर्तित कर दिया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार, इरेडा ने ऋणकर्ता से सब्सिडी राशि वापिस मांगी थी। यद्यपि ऋणकर्ता ने सितम्बर 2010 में ₹ 10.17 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया राशि की पूर्व समापन कर दी तथापि, इरेडा ऋण को पूर्ण रूप से समायोजित नहीं किया गया। चूंकि ऋणकर्ता ने ब्याज सब्सिडी की वापसी के लिए एमएनआरई/इरेडा के प्रति माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है अंत: कथित राशि को एमएनआरई को वापिस नहीं किया गया था तथा इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के अभाव में इसे पृथक रखा गया।

उत्तर को इस सदंर्भ में देखा जा सकता है कि अक्षय स्रोतो के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु सब्सिडी का उद्देश्य विफल हुआ तथा ज्योही संयंत्र को जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया। इरेडा ने ऋणकर्त्ता से सब्सिडी की वसूली नहीं की।

5.4.3 मै. जीके बायो एनर्जी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1190) के मामले में, यद्यपि परियोजना को अगस्त 2005 में गांव जिला नमक्कल, तमिलनाडु में चालू किया गया, तथापि ऋणकर्ता इरेडा की देय राशि के पुर्नभुगतान में अनियमित था तथा मामले को मार्च 2007 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। परियोजना को निधि के अभाव तथा ईंधन की अनुपलब्धता के कारण मई 2007 में बन्द कर दिया गया। यद्यपि ऋणकर्त्ता को ₹ 14.36 करोड़ की पूंजी, ब्याज, निर्णीत हर्जाने आदि की वसूली के लिए एक रिकॉल नोटिस जारी किया गया (फरवरी 2008), तथापि अगस्त 2005 के अन्त तक ऋणकर्ता पर पारित की गई ₹ 3.51 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया। एमएनआरई ने इरेडा को इस परियोजना के लिए दी गई सम्पूर्ण पूंजीगत सब्सिडी वापिस करने का निर्देश दिया (अगस्त 2008) क्योंकि आवधिक ऋण को वापिस लिया गया था परन्तु ऐसा नहीं किया गया तथा इसके बजाय इरेडा ने एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने के अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर 2009 तथा नवम्बर 2009 में अनुरोध किया क्योंकि परियोजना को चालू किया जा चुका था तथा इरेडा ने ऋण को रद्द/वापिस नहीं लिया था। मामले का निपटान दिसम्बर 2009 में ₹ 7.27 करोड़ के ओटीएस के माध्यम से किया गया। इस प्रकार, यद्यपि संयत्र को मई 2007 में बन्द किया गया तथा यह दो वर्षों से कम तक चालू रहा था तथापि इरेडा द्वारा मंजूर की गई पूंजीगत सब्सिडी को ऋणकर्ता से वसूल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि एमएनआरई को परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का पूर्ण रूप से पता था क्योंकि एमएनआरई ने पूंजीगत सब्सिडी की वैधता में विस्तारण को मंजूरी दी थी। एमएनआरई द्वारा पूंजीगत सब्सिडी जारी करने में भी विलम्ब था इसने भी चालू करने में विलम्ब में सहयोग दिया था। जैसाकि इरेडा ने ऋण वापिस लिए, अत: एमएनआरई ने भी कम्पनी को जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी वापिस लेने के लिए इरेडा को निर्देश दिए। तथापि, इरेडा ने मामला जनवरी 2009 में एमएनआरई को वापिस भेजा तथा बताया कि सम्पूर्ण आवधिक ऋण का इरेडा द्वारा वितरण कर दिया गया था तथा परियोजना को पहले ही अगस्त 2005 में चालू हो चुकी थी और इसलिए पूंजीगत सब्सिडी वापिस लेना मंजूरी के अनुरूप नहीं था। एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने के अपने निर्णय की समीक्षा करने हेतु अक्तूबर 2009 तथा नवम्बर 2009 में पुन:अनुरोध किया गया। इरेडा पूंजीगत सब्सिडी वसूल करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि कम्पनी की परिसम्पत्ति के मूल्य में एक समयावधि में अवनति हुई थी।

तथ्य यह है कि इरेडा ने पूंजीगत सब्सिडी वसूल नहीं की तथा इसके बजाय ऋणकर्ता को जून 2010 में अदेय प्रमाणपत्र जारी किया।

5.4.4 मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड (परियोजना संख्या 340) के मामले में, इरेडा ने कृषि/लकड़ी के अवशेषों का उपयोग करने के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में वेदादरी में 6.75 एमडब्ल्यू क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए ₹ तीन करोड़ का ऋण मंजूर किया था (नवम्बर 1994)। एमएनआरई ने ₹ 4.20 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी दी (1994) जिसमें से इरेडा ने तीन

किस्तों अर्थात ₹ 2.10 करोड़ (मार्च 1995), ₹ 0.92 करोड़ (जून 1996) और 0.76 करोड़ (जूलाई 1996) में ₹ 3.78 करोड़ की 90 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान कर दिया था। परियोजना जो अक्तूबर 1996 में आरंभिक रूप से चालू होने के लिए निर्धारित थी, को सितम्बर 2000 में चालू किया गया तथा जनवरी 2001 में ग्रिड के साथ संमक्रमिक किया गया। परियोजना 1997-98 में एनपीए बन गई थी। संयत्र को जनवरी 2007 से सितम्बर 2008 के दौरान बन्द कर दिया गया था। जनवरी 2004 में इरेडा के देयों को वापिस लेते समय, एमएनआरई सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया। इरेडा ने यह कहते हुए एमएनआरई के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2004) कि सब्सिडी को वापिस लेना चाहिए। तथापि, एमएनआरई ने इरेडा को सूचित किया (सितम्बर 2004) कि चूंकि परियोजना ने पूंजीगत सब्सिडी के अनुदान हेतु शर्तो तथा मंजूरी का उल्लंघन नहीं किया था तथा जनवरी 2001 से परिचालित था अंत: सब्सिडी वापिस लेना उचित नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमएनआरई मंजूरी के अनुसार (मई 1995) सब्सिडी राशि के अंतिम 20 प्रतिशत को परियोजना के प्रचालन के 30 दिनों की न्यूनतम अवधि के बाद संवितरित किया जाएगा। हालांकि, मंजूर सब्सिडी के 90 प्रतिशत (₹ 3.78 करोड़) का भुगतान एमएनआरई के निर्देशों पर जुलाई 1996 मे किया गया।

- इरेडा ने एमएनआरई से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी के प्रति परियोजना के लिए ₹ 0.42 करोड़ के तत्कलिक ऋण को बढ़ाया। ओटीएस प्रस्ताव में यह कहा गया कि इस राशि को एमएनआरई की पूंजीगत सब्सिडी के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि कम्पनी को सब्सिडी का अंतिम 10 *प्रतिशत* जारी नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को इरेडा द्वारा प्रदान की गई सूचना ने दर्शाया कि एमएनआरई से प्राप्त ₹ 4.20 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी में से ₹ 3.78 करोड़ को ऋणकर्ता पर पारित किया गया था परन्तु इरेडा द्वारा शेष राशि एमएनआरई को वापिस नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि एमएनआरई ने स्पष्ट किया है कि परियोजना को चालू किया जा चुका था तब तक पूंजीगत सब्सिडी वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यद्यपि परियोजना को सितम्बर 2000 में चालू किया गया था तथापि, जनवरी 2007 से सितम्बर 2008 के दौरान परिचालित नहीं थी। इसलिए पूंजीगत सब्सिडी को वापिस न लेने से सब्सिडी योजना के मूल नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन हुआ।

5.4.5 मै. भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना संख्या 1469) को वर्ष 2001-02 के दौरान रायचूर, कर्नाटक में एक बायोमास आधारित बिजली परियोजना की स्थापना के

लिए ₹ 16.95 करोड़ का आवधिक ऋण मंजूर किया गया। परियोजना को सितम्बर 2003 में चालू किया गया। इसके पश्चात ऋणकर्ता द्वारा ऋण के भुगतान में चूक के कारण मार्च 2007 में मामले को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। एमएनआरई द्वारा मार्च 2007 में ऋणकर्ता को ₹ 1.57 करोड़ की ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी गई। बाद में, एमएनआरई ने नवम्बर 2007 में ऋणकर्ता के अनुरोध पर ₹ 1.28 करोड़ की राशि की अवितरित ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी में बदल दिया। इसके पश्चात् इरेडा ने ऋणकर्ता के ₹16.95 करोड़ के बकाया ऋण से ₹ 1.28 करोड़ की इस पूंजीगत सब्सिडी राशि को समायोजित किया तथा बकाया राशि की वसूली के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना सितम्बर 2010 से परिचालित नहीं थी। जैसेकि परियोजना को इसके पूरा होने के बाद 10 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए परिचालित नहीं किया गया था। तथापि इरेडा ने ऋणकर्ता से सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा, यद्यपि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई आरम्भ की गई थी तथापि, सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि मार्च 2007 के दौरान एमएनआरई द्वारा कम्पनी को ₹ 1.57 करोड़ की ब्याज सब्सिडी राशि मंजूर की गई तथा यह इरेडा के साथ अवितरित रही। इसे ध्यान में रखते हुए, कम्पनी जून 2007 में एमएनआरई के पास गई तथा अवितरित ब्याज सब्सिडी राशि को पूंजीगत सब्सिडी में बदलने का अनुरोध किया। तदनुसार, नवम्बर 2007 में एमएनआरई ने अवितरित ब्याज सब्सिडी राशि के पूंजीगत सब्सिडी में परिवर्तन को स्वीकृत किया तथा इसे बकाया ऋण राशि के प्रति समायोजित करने के लिए इरेडा को प्राधिकृत किया। तदनुसार, इरेडा ने ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी में परिवर्तित किया तथा इसे ऋण राशि के प्रति समायोजित किया। इरेडा ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 08 जून 2012 को नोटिस से कार्रवाई प्रारम्भ की देखें। तथापि, बाद में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक सरकारी समापक (ओएल) की नियुक्ति की जिसने परियोजना परिसम्पत्ति पर कब्जा किया है। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए आगे कार्रवाई प्रगति पर है।

प्रबंधन के उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है कि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा सितम्बर 2010 से परियोजना परिणाम परिचालित नहीं थी इस परिणाम से परियोजना अपने पूरा होने के बाद 10 वर्षों की अपेक्षित अवधि के लिए काम नहीं कर सकी जिससे सब्सिडी का लाभ लेने के लिए निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, इरेडा ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया था जो सब्सिडी वापिस लेना अनिवार्य बनाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सब्सिडी योजना के निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन के बावजूद इरेडा द्वारा सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया जैसाकि नीचे समीक्षा की गई है :

- मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. इंड भारत एनर्जी (थुथुकुडी) लिमिटेड के मामले में, यद्यपि परियोजना ने पारम्परिक ऊर्जा का उपयोग आरम्भ किया था तथापि सब्सिडी की वसूली नहीं की गई;

- मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड के मामले में, परियोजना एनपीए हो गई थी तथा बाद में मामलों का ओटीएस के माध्यम से निपटान किया गया;

- मै. जीके बायो एनर्जी लिमिटेड के मामले में, यद्यपि एमएनआरई ने संपूर्ण पूंजीगत सब्सिडी को वापिस करने के लिए इरेडा को निर्देश दिए क्योंकि आवधिक ऋणों को वापिस मांगा गया था तथापि, इरेडा ने एमएनआरई को इस आधार पर सब्सिडी वापिस न लेने का अनुरोध किया कि परियोजना को चालू किया जा चुका था। तथापि, मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड के मामले में, इरेडा ने एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने का अनुरोध किया जिसे बाद में इस आधार पर स्वीकृत नहीं दी कि परियोजना परिचालित थी।

- इरेडा में निर्धारित अवधि के लिए अक्षय उर्जा ईंधन पर परियोजनाओं के परिचालन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था (मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड)।

- आठ मामलों में ₹ 14.48 करोड़ की सब्सिडी को गलत तरीके से पारित/वसूल नहीं किया गया था जिसे **अनुबंध III** में शामिल किया गया था।

सिफारिश संख्या 7

इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारंम्भ के पश्चात निर्धारित अवधि हेतु निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापस लेनी चाहिए जहाँ परियोजनाएं निर्धारित अवधि में नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।

सिफारिश को अंशतः स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा कि इरेडा ने परियोजना की निरन्तरता को मॉनीटर करने के लिए पहले ही ऋणदाता के इंजीनियर्स/समवर्ती लेखापरीक्षक रखे हैं। इसके अलावा, सब्सिडी की मंजूरी की शर्तो के अनुसार सब्सिडी को वापिस लिया जाता है।